

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

09(नौ) अररिया लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - 1

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

श्री 09(नौ) अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम तस्लीम उद्दीन पिता/पुत्र/पुत्री का नाम अमजद अली

इनका डाक पता मीर नगर बर्दिम-28, अररिया, पोस्ट कार्ड नं- अररिया.

इनका नाम 09(नौ) अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 49-अररिया (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 161 में क्रम

संख्या 1296 पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम नय्यरु जमा है जो 09(नौ) अररिया संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 49 अररिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग 161 में क्रम संख्या 302 पर प्रविष्टि है।

दिनांक 04-04-2014.

नय्यरु जमा
प्रस्तावक के हस्ताक्षर
4.4.2014

भाग - II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अथर्वी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अथर्वी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अथर्वी का नाम पिता / माता / पति का नाम

..... उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं में क्रम

संख्या पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

मैं भाग I / ~~अन्यथा~~ (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में ~~राष्ट्रीय जनता दल~~ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त ~~राष्ट्रीय दल~~ / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में ~~.....~~ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) ~~.....~~ (ii) ~~.....~~ (iii) ~~.....~~

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/पिता/पुत्रि के नाम की उपर अंकित वर्तनी हिन्दी (देवनागरी) में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ~~.....~~ जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ~~.....~~ राज्य के उस

उस राज्य में के ~~.....~~ (क्षेत्र) से संबंधित अनुसूचित ~~.....~~

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 04.04.2014.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III - क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या
(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
- यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

—हाँ/नहीं

- (i) गणना/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं.
- (ii) पुलिस स्टेशन जिला (जिले) राज्य
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें)
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें)
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
(ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति)

लागू नहीं

दिनांक 04.04.2014.

स्थान अरुनिया

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

10/HP/2014/R0

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में
04.04.2014 (तारीख) को 02.02.2014 बजे को अग्रणी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 04.04.2014

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।


निर्वाची अधिकारी
09-अररिया संसदीय क्षेत्र
सह-जिला पदाधिकारी, अररिया

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

“प्रारूप 26”
(नियम 4क देखिए)

Notary Araria



09 – अररिया निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं तसलीम उद्दीन **पुत्र/पुत्री/पत्नी अमजद अली आयु 72 वर्ष, जो मीर नगर, वार्ड नं.- 28, अररिया, पोस्ट+थाना+जिला – अररिया (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं राष्ट्रीय जनता दल (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**~~एक स्वतंत्र~~ अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम अररिया विधान सभा, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) में भाग सं. 161 के क्रम सं. 1296 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 9472244267 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हैं) है शून्य।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रार्थना :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	AAKPU6156H	2008-09	₹87844.00
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



ccds

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अनिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	1. कोचाधामन थाना काण्ड संख्या- 70/2009, थाना- कोचाधामन, जिला किशनगंज, राज्य बिहार। 2. 83 सी/87, थाना- अररिया, जिला-अररिया, राज्य-बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1. धारा- 147/149/427/341/323/506 भा.द. वि.- नाजायज नजमा बनाकर समान उद्देश्य के साथ वादी एवं अन्य को घेरकर मारपीट करना, सामान क्षतिग्रस्त करना एवं भयभीत करना। 2. धारा 500 भा.द.वि.- वादी पर कदाचार का झूठा आरोप लगाकर अपमानित करना।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	1. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज, जी.आर. 435/09, संज्ञान तिथि - 03.08.2009 2. अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया, 83सी/ 87, संज्ञान तिथि - 23.05.1987
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	1. अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज 2. न्यायालय, श्री कोमल राम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अररिया
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	1. आरोप का सारांश सुनाने की तिथि- 19.11.2013 2. आरोप गठन की तिथि- 23.08.2000
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	1. श्री एस.के.मांडी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, किशनगंज, सी. 700/98, दिनांक 23.02.1999 2. श्री रंजीत कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, किशनगंज, जी.आर. 362/09, दिनांक 12.10.2009
-----	--	---



(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	1. धारा— 147/447/347/323/328/327/384/109/379/34/120(बी)भा.द.वि.— नाजायज मजमा बनाकर एकमत होकर जबरन वादी के चाय बागान में अनाधिकार प्रवेश कर भयादोहन की नियत से मारपीट करना, सामान छीन लेना और क्षति कारित करना। 2. धारा— 188 भा.द.वि. एवं धारा II, बिहार प्रिवेंशन ऑफ डीफेंसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1987 निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर मीडिया के समक्ष बयानबाजी करना तथा सम्पत्ति का विरूपण करना।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं।

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिराक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित नामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरूपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया

टिप्पणी है

Notary

Regd. No. 43/03

(4968J)

Anarika (Bihar)

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तरा दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित- 1	आश्रित- 2	आश्रित- 3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 200000.00	₹ 100000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1) भारतीय स्टेट बैंक, अररिया, पेंशन खाता नं. 31450887010 ₹ 579508.00 2. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-अररिया, खाता सं.- 30420100008704 ₹ 00.00	दि पूर्णियाँ सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा-जोकीहाट, खाता नं. 001534001000461 ₹ 19954.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	1. एक जिप्सी पुरानी, नं.- DL2CA, 1141 कीमत- ₹ 270000.00 2. क्वालिस टोयोटा, नं.- JHO6A, 6484 कीमत- ₹ 825000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के व्यौरे)	शून्य	सोना- 150 ग्रा. कीमत- ₹ 500000.00 चाँदी- 500 ग्रा. कीमत- ₹ 20000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 1874508.00	₹ 639954.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के व्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्कृत वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याएं (संख्याएं)	गिर्दा, धनपुरा, सिसौना, मायाखुरी, अंचल जोकीहाट/पलासी 869, 870, 871, 872, 873, 876, 877, 303, 304, 11, 272, 155, 18, 79, 87, 310, 2	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	16.22 एकड़	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां/नहीं)	नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	22.09.1967, 23.04.1960, 14.03.1970	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 450000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 17649000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	सिमरिया, सिसुआ, अंचल जोकीहाट 499, 22	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	13.91 एकड़ (605919.60 वर्ग फुट)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	03.12.1970, 11.12.1980	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 370000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 8820006.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	सिसौना, अंचल जोकीहाट 1563, 1564, 1566	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	3267 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	600 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	ज्ञात नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	₹ 400000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	किराये पर- दि पूर्णियाँ सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, जोकीहाट शाखा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	₹885000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	वार्ड नं.- 28, नगर परिषद, अररिया 1677	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6860.70 वर्ग फुट	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3430.35 वर्ग फुट	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	10.11.1970	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 500000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	निवास	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 12500000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (ii) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 26469006.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शाध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- अररिया, खाता सं.- 30420500000418 ₹ 1000000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिओं, निकाय को ऋण या शोध नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शाध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	सी.पी.डब्ल्यू.डी, ₹1026919.00 (विवादित- सर्टिफिकेट केस नं. - 10/10-11 न्यायालय सर्टिफिकेट ऑफिसर -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Handwritten signature

(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	₹1026919.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं पेंशन भोगी/कारस्तकारी

(ख) पति या पत्नी गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हत नीचे दिये अनुसार है :- साक्षर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



Handwritten signature in green ink.



(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यापक का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री तसलीम उद्दीन			
2	डाक का पता		मीर नगर, वार्ड नं.- 28, अररिया, पोस्ट+जिला+थाना- अररिया			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		09 अररिया, बिहार			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		राष्ट्रीय जनता दल			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		2 (दो)			
	(ii) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)		2 (दो)			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		नहीं			
7		आयकर विभाग का स्थायी लेखा सं०	यह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	AAKPU6156H	2008-09		₹87844.00	
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य		शून्य	
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹1874508.00	₹ 639954.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियां					
	I. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹1320000.00	₹40000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (भवन निर्माण)	₹2500000.00	₹500000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹38969006.00	₹885000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹38969006.00	₹885000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध (कुल) आवास एवं टेलीफोन	₹1654418.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध (कुल) सरकारी आवास	₹1026919.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>साक्षर</u>					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)					



Notary Araria

सत्यापन

Affidavit No. 149/2014

मैं, सत्यजित कुमार उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे निकट उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से निम्नलिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग का की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख अप्रैल 2014 को सत्यापित किया गया।

Identified by H.K. Mishra

affidavit solemnly affirmed

and declare before me

02/04/14

Bhajan Kumar Verma

NOTARY

ARARIA (BIHAR)

टिप्पण 2 - शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 – सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 – माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं” या “ज्ञात नहीं” जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के आद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 – शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9472244267

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है – नहीं

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है – नहीं



R.R.V.
03/04/24
RANJAN KR. VERMA
NOTARY
ARARIA BIHAR (INDIA)